

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-215/2010

संस्थित दिनांक-17.06.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

### **विरुद्ध**

1. राजपाल पुत्र जालम सिंह लोधी उम्र 35 साल
  2. दयाराम पुत्र राजधर सिंह लोधी उम्र 57 साल
  3. दिवासा उर्फ रामनिवास पुत्र जालम सिंह लोधी उम्र 47 साल
  4. किशनलाल पुत्र जालम सिंह लोधी उम्र 42 साल
- निवासीगण ग्राम हंसारी

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 27.12.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 324/34, 506 बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.06.2010 को शाम करीबन 6 बजे ग्राम हंसारी में लोक स्थान पर फरियादी भंवरलाल को मां बहन की गालियां देकर उसे व अन्य को क्षोभ कारित कर फरियादी भंवरलाल व पहलवान की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी भंवरलाल व पहलवान की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी भंवरलाल का रास्ता रोककर अवरोध कारित उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी भंवरलाल को गांव मंगल ने बताया कि खेत में राजपाल, दिवासा, किशनलाल व दयाराम मकान बना रहे हैं। भंवरलाल अपने खेत पर पहुंचा तो चारों खेत पर मकान बना रहे थे।

भंवरलाल ने मकान बनाने से मना किया तो चारों ने मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। भंवरलाल ने गाली देने से मना किया तो राजपाल ने कुल्हाड़ी की मारी जो भंवरलाल सिर में लगी खून निकल आया। दयाराम ने लाठी मारी दाहिने हाथ के डण्डा की लगी चोट होकर सूजन आई। फिर किशन ने लाठी मारी जो भंवरलाल के पीठ में लगी मुंड़ी चोट आई, भंवरलाल का लडका पहलवान बचाने आया तो किशनलाल ने उसे लाठी मारी जो पहलवान के सिर में पीछे लगी, खून निकल आया व दिवासा ने एक लाठी मारी दाहिने हाथ की अंगुली में लगी। दयाराल व राजपाल ने लाठियों से उसकी मारपीट की, जिससे पहलवान को मुंड़ी चोट आई मौके पर सरदार लोधी व बालचंद आ गये, जिन्होंने घटना को देखा व बीच बचाव किया। भंवरलाल जब रिपोर्ट करने के लिये जाने लगा तो इन चारों आरोपीगण ने रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी भंवरलाल द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-178/2010 अंतर्गत धारा-341, 294, 323, 506 बी भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.06.2010 को शाम करीबन 6 बजे ग्राम हंसारी में लोक स्थान पर फरियादी भंवरलाल को मां बहन की गालियां देकर उसे व अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी भंवरलाल व पहलवान की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त

	सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी भवंरलाल व पहलवान की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी भवंरलाल का रास्ता रोककर अवरोध कारित किया ?
4.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य पुर्नावृत्ति रोकने के लिये विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 का विवेचन पहले किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 06— फरियादी भवंरलाल (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि उसके कथन देने की दिनांक से करीबन एक साल पूर्व शाम करीबन 05:00 बजे आरोपीगण उसके खाते के नंबर में मकान बना रहे थे। जहां वह पहुंचा और उसने आरोपीगण को रोका तो चारों आरोपीगण ने लट्ठों से उसे मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। फरियादी का कहना है कि घटना में उसके सिर में कमर में व हाथों में चोट आई थी तथा घटना स्थल पर उसकी पत्नी केशर बाई (अ0सा0-2) व उसका बड़ा लडका पहलवान (अ0सा0-4) भी आ गये थे जिन्हें घटना में मुंदा चोट आई थी।
- 07— फरियादी भवंरलाल (अ0सा0-1) के अनुसार घटना आरोपीगण के द्वारा उसके जमीन पर मकान बनाने से उसके द्वारा रोकने पर घटित हुई थी। जिसके संबंध में फरियादी के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे। फरियादी भवंरलाल (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में भी यह कथन दिये है कि उसने पूर्व में भी आरोपीगण को चार बार मकान बनाने से रोका था तथा घटना दिनांक को वह

पांचवी बार जब रोकने गया था तो आरोपीगण ने उसे लट्ठों से मारा था। अतः फरियादी की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने जब विवादित जमीन पर मकान बनाने का कार्य कर रहे थे, तो फरियादी के रोकने पर मौके पर विवाद हुआ था।

- 08— आरोपीगण की फरियादी से रिश्तेदारी है, यह स्वयं फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में स्वीकार करते हुये कथन दिये हैं कि अभियुक्त दयाराम के पिता व उसके पिता सगे भाई थे तथा शेष आरोपीगण उसके भतीजे लगते हैं तथा आरोपीगण तथा फरियादी के मध्य पूर्व का जमीनी विवाद है, यह बचाव पक्ष की ओर से फरियादी के प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव एवं केशर बाई (अ0सा0-2) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव जिसे केशर बाई (अ0सा0-2) के द्वारा यह स्वीकार किये जाने से कि आरोपीगण व उनके मध्य खेत की जमीन पर से रंजिश चल रही है, से यह स्पष्ट होता है कि आरोपीगण तथा फरियादी के मध्य घटना के पूर्व से भी जमीन को लेकर विवाद की स्थिति रही है।
- 09— फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) हालांकि अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव पर विवादित भूमि कितनी हैं तथा आरोपीगण के मकान किस भूमि पर बने हैं तथा किस भूमि पर निर्माण कार्य आरोपीगण कर रहे थे, यह स्पष्ट नहीं कर पाया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान आपराधिक प्रकरण में न तो जमीन का स्वत्व निर्धारित किया जाना है और न ही यह निर्धारित किया जाना है कि किसकी जमीन पर कौन मकान बना रहा है। वर्तमान प्रकरण में मात्र इस बिंदू पर विचार किया जाना है कि वास्तव में फरियादी के द्वारा घटना घटित होने का जो कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया है वह सत्य है तथा उक्त कारण से घटना घटित हुई अथवा नहीं।
- 10— फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में न्यायालय में घटना घटित होने का जो कारण अपने कथनों में बताया गया है, उसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 2 में उल्लेखित घटना घटित होने के कारण से होती है तथा फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) के द्वारा विवाद होने एवं विवाद के कारण के संबंध में मुख्यपरीक्षण में जो कथन दिये गये हैं, वो उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित है। पहलवान (अ0सा0-4) जो कि घटना में आहत होकर फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) का पुत्र है, ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अपने पिता भंवरलाल (अ0सा0-1) के कथनों की पुष्टि करते हुये कथन दिये हैं कि घटना

दिनांक को आरोपीगण उसके खेत में मकान बना रहे थे तथा उन्हें रोकने पर आरोपीगण ने उसके व उसके पिता के साथ मारपीट की थी।

- 11- फरियादी की पत्नी केशर बाई (अ0सा0-2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि आरोपीगण घटना दिनांक को उनके खेत पर मकान बना रहे थे, जिन्हें उसके पति द्वारा रोकने पर पति के साथ आरोपीगण ने मारपीट की थी। घटना के स्वतंत्र साक्षी बालचंद (अ0सा0-3) जिसकी उपस्थिति घटना के समय मौके पर स्वयं फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में बताई है, के द्वारा अपने कथनों में अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है तथा यह साक्षी अपने सामने कोई घटना न होना बताया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि अवश्य की है, आरोपीगण एवं फरियादी के बीच जमीन के विवाद के संबंध में फरियादी के खेत के पास शिवपुरी रोड पर विवाद हुआ था।
- 12- घटना से पूर्व से जमीन को लेकर आरोपीगण व फरियादी के मध्य रंजिश थी, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है तथा फरियादी सहित घटना में आहत पहलवान (अ0सा0-4) व घटना के साक्षी केशरबाई (अ0सा0-2) व बालचंद (अ0सा0-3) की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि घटना दिनांक को जमीन के विवाद पर से अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ झगडा किया था तथा झगडे का कारण किसी विवादित जमीन पर आरोपीगण के द्वारा मकान बनाने का प्रयास करना था। अब देखा यह जाना है कि उक्त विवाद में वास्तव में आरोपीगण ने फरियादी तथा उसके पुत्र के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर धारदार हथियार से उन्हें स्वेच्छयाउपहति कारित की थी अथवा नहीं।
- 13- फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) का अपने कथनों में कहना है कि जब उसने आरोपगण ने उसको मकान बनाने से रोका तो चारों आरोपीगण ने उसे लट्ठों से मारा था, जिससे वह बेहोश हो गया था तथा घटना में उसे सिर में कमर में व हाथों में चोट आई थी। फरियादी घटना में चारों आरोपीगण के द्वारा उसे लाठियों से मारने की घटना तो बताता है तथा उक्त घटना में उसे सिर सहित व कमर व हाथों में चोट आना भी बताता है, परन्तु इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस अभियुक्त ने उसे शरीर के किस भाग पर उपहति कारित की थी। इसी प्रकार भंवरलाल (अ0सा0-1) घटना में केशर बाई व पहलवान को मुंदा चोटें आना तो बताता है, परन्तु इस साक्षी का कहना है उसे किसने मारा

व किस चीज से मारा उसे इसकी जानकारी नहीं है।

- 14— फरियादी भंवरलाल (अ0सा0—1) का अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 8 में भी कहना है कि वह पहले भी चार बार आरोपीगण को रोक चुका था और जब पांचवी बार रोकने गया तो आरोपीगण ने उसे लट्ठों से मारा। अतः फरियादी भंवरलाल (अ0सा0—1) के कथन भले ही इस संबंध में स्पष्ट न कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से उसके तथा उसके पुत्र व पत्नी के साथ मारपीट कर उपहति कारित की थीं, परन्तु फरियादी की साक्ष्य उसके संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में अखण्डित है कि मकान बनाने से रोकने पर चारों आरोपीगण ने लाठियों से उसके साथ मारपीट की थी जिसमें उसके सिर हाथ व कमर में चोटें आई थीं।
- 15— पहलवान (अ0सा0—4) जो कि घटना में आहत होकर घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है अपने कथनों में अपने पिता के कथनों की पुष्टि करते हुये यह कहता है कि मकान बनाने से रोकने पर आरोपीगण ने उसके तथा उसके पिता के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके सिर में कंधे में व शरीर में लाठी की चोटें थी तथा पिता के सिर में भी चोट आई थी। अतः पहलवान (अ0सा0—4) के कथनों से भी फरियादी के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना स्थल पर वह स्वयं उपस्थित था तथा जब उन लोगों ने आरोपीगण को मकान बनाने से रोका तो चारों आरोपीगण ने उनके साथ लाठियों से मारपीट की थी, जिसमें शरीर में अन्य जगह लाठी की चोट के अलावा स्वयं पहलवान (अ0सा0—4) व भंवरलाल (अ0सा0—1) के सिर में चोट आई थीं तथा स्वयं भंवरलाल (अ0सा0—1) भी स्वयं को सिर में घटना में चोट आना बताता है।
- 16— अभियोजन की ओर से चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—7) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं, जिनके द्वारा घटना दिनांक को ही फरियादी व आहत पहलवान का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—7) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 04.06.2010 को जब उनके द्वारा फरियादी भंवरलाल व आहत पहलवान का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, तब पहलवान के शरीर पर चार चोटें तथा भंवरलाल के शरीर पर कुल दो चोटें उनके द्वारा पाई गई थी, जिसमें दोनों आहतों के सिर पर फटे हुये घाव की चोट थीं, जिसमें से पहलवान सिर के आक्सीपिटल भाग एवं भंवरलाल के सिर के फ्रैन्टल भाग पर फटे हुये घाव की चोट थी।

- 17- डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-7) ने इस बात की पुष्टि की है कि फरियादी के दाहिनी अग्र भुजा पर बाहर की ओर एक नीलगू निशान परीक्षण में पाया गया वही पहलवान (अ0सा0-4) के भी दाहिनी भुजा कि उपर बाहर की ओर दाहिने हाथ की तर्जिनी अंगुली पर दाहिने कंधे पर नीलगू निशान की चोट उनके द्वारा पाई थी, जिसका उल्लेख परीक्षण के बाद तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श-पी 6 व 7 से होता है, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-7) के द्वारा घटना दिनांक को ही रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी व आहत पहलवान का चिकित्सीय परीक्षण किया गया तथा प्रदर्श-पी 6 व 7 की रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें उनके द्वारा फरियादी व आहत के शरीर पर उपरोक्त चोटें पाये जाने का उल्लेख किया गया। जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
- 18- अतः घटना दिनांक को फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) व पहलवान (अ0सा0-4) के चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-7) के द्वारा उनके शरीर पर पाई गई अन्य चोटों के अलावा सिर पर पाये गये फटे घाव की चोट से फरियारी भंवरलाल (अ0सा0-1) व पहलवान (अ0सा0-4) के द्वारा न्यायालय में बताई गई घटना पूरी तरह से विश्वसनीय प्रतीत होती है कि उनके चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-7) ने जो चोटें पाये जाने की पुष्टि की है, उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा की गई, मारपीट का परिणाम थी तथा उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा लाठी के प्रहार से कारित की गई।
- 19- फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) ने हालांकि अपने प्रतिपरीक्षण में घटना में मारपीट के बाद बेहोश हो जाने के कथन दिये है तथा उक्त कारण से इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण में यह अवश्य कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट किसने लिखाई थी तथा रिपोर्ट में क्या लिखा है तथा पहलवान (अ0सा0-4) को किसने किस हथियार से उपहति कारित की थीं। इसी प्रकार पहलवान (अ0सा0-4) भी घटना में बेहोश हो जाने के संबंध में कथन देता है। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण परिवेश के लोगों में उनके ग्रामीण स्तर पर एवं अनपढ़ होने के कारण ये आम तौर पर देखा जाता है कि वह यदि घटना के संबंध में कोई कथन देते है तो उसमें वह उस घटना को गंभीर बताने के लिये बड़ा-चड़ा कर कथन देते है, जिसमें अधिकांश मामलों में ऐसे ग्रामीण साक्षी घटना में बेहोश हो जाने तक के कथन देते है, परन्तु इनके कथनों को

उसी दृष्टिकोण से देखा जाना उचित होगा तथा उक्त कथनों के आधार पर इन साक्षियों के द्वारा बताई गई घटना पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

- 20— फरियादी भंवरलाल (अ0सा0—1) व पहलवान (अ0सा0—4) के द्वारा घटना में बेहोश हो जाने के संबंध में दिये गये कथन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ओर वह घटना के बाद तीन चार दिन तक बेहोश होना बताते हैं परन्तु वह घटना दिनांक को ही थाने पर रिपोर्ट करने भी जाते हैं तथा साथ ही उनका चिकित्सीय परीक्षण भी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0—7) द्वारा भी किया जाता है। अतः इन साक्षियों के उपरोक्त कथनों का वह कि घटना में बेहोश हो गये थे, का कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।
- 21— अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये घटना के स्वतंत्र साक्षी मंगल (अ0सा0—5) व बालचंद (अ0सा0—3) व सरदार (अ0सा0—8) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी की मां केशर बाई (अ0सा0—2) घटना दिन के 12—01 बजे की होना बताती है तथा अपने पति को राजपाल के द्वारा पत्थर से उपहति कारित किया जान बताती है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है वहीं स्वयं पहलवान (अ0सा0—4) का भी अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना है कि घटना में आरोपीगण ने उसके और उसके पिता के साथ मारपीट की थी तथा उस समय मौके पर कोई नहीं था। जिससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से मंगल (अ0सा0—5), सरदार (अ0सा0—8) व केशर बाई (अ0सा0—2) एवं बालचंद (अ0सा0—3) के कथनों से अभियोजन को कोई अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है, परन्तु बालचंद (अ0सा0—3) व केशरबाई (अ0सा0—2) की साक्ष्य इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि यह दोनों ही साक्षी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि करते हैं कि विवाद जमीन के विवाद को लेकर हुआ था।
- 22— फरियादी भंवरलाल (अ0सा0—1) एवं पहलवान (अ0सा0—4) ने निश्चित रूप से अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस अभियुक्त के किस हथियार के प्रहार से उन्हें उपहति कारित हुई थी तथा घटना की स्पष्ट दिनांक एवं समय बताने में भी इन साक्षियों के कथनों में मामूली विरोधाभास की स्थिति हैं, जिसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि ऐसी घटना में जब कई अभियुक्तों के द्वारा किस व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, तो उसके लिये यह बता पाना संभव नहीं होता है कि किस अभियुक्त के प्रहार से उसे



शरीर में किस जगह में चोट आई वह साधारण तौर पर स्वयं को आई चोट के संबंध में तो बता सकता है, परन्तु घटना का शब्दशः विवरण की अपेक्षा आहत व्यक्ति से नहीं की जा सकती है।

- 23— फरियादी व आहत ग्रामीण व्यक्ति है, जहां घड़ी की सूई देखकर किसी घटना के बारे में जानकारी होने की अपेक्षा इन साक्षियों से नहीं की जा सकती है। घटना के संबंध में इन साक्षियों की मामूली विरोधाभास को छोड़कर उनकी संपूर्ण साक्ष्य देखी जानी है। अतः ऐसे में फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) व पहलवान (अ0सा0-4) ने भले ही स्पष्ट तौर पर प्रत्येक अभियुक्त का घटना में कृत्य स्पष्ट न किया हो तथा घटना का समय व स्थान पर भी स्पष्ट नहीं बताया हो, परन्तु इन साक्षियों की संपूर्ण साक्ष्य से एवं चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को मकान बनाने से रोकने पर अभियुक्त ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की थी, जिनमें अन्य चोटों के अलावा इन दोनों ही साक्षियों को सिर में फटे घाव की चोट आई थीं।
- 24— घटना में निश्चित रूप से फरियादी ने व आहत पहलवान ने अभियुक्तगण के द्वारा लाठियों से उनके साथ मारपीट कर उपहति कारित करने के संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है तथा इन दोनों ही साक्षियों ने अपने कथनों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है कि घटना में अभियुक्तगण ने उपहति कारित करने में कुल्हाड़ी का उपयोग किया। चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि धारदार हथियार की उपहति कारित नहीं हुई है तथा घटना में अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र सिंह (अ0सा0-6) ने अभियुक्तगण से कोई हथियार भी बरामद नहीं किया हैं, जिससे अभियुक्तगण को विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324 के आरोप का दोषी नहीं माना जा सकता है, परन्तु फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) व पहलवान (अ0सा0-4) की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को मकान बनाने के विवाद पर से अभियुक्तगण ने इन साक्षियों के रोकने पर से उनके साथ लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की थी तथा घटना में ही फरियादी तथा आहत पहलवान (अ0सा0-4) को उपहति कारित हुई थी, यह डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-7) की चिकित्सीय साक्ष्य से भी प्रमाणित होता है।
- 25— घटना दिनांक का अभियुक्तगण की घटना स्थल पर उपस्थिति तथा उनके द्वारा एक साथ फरियादी भंवरलाल (अ0सा0-1) व पहलवान (अ0सा0-4) के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति करना यह साबित करता है कि उन्होंने पूर्व में ही सामान्य इन साक्षियों को उपहति करने का निर्मित कर लिया था जिसके

अग्रसरण में यह घटना कारित की गई। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह भले ही प्रमाणित न होता हो कि अभियुक्तगण ने घटना में धारदार हथियार का प्रयोग किया या काटने के उपकरण से उपहति कारित की, परन्तु मकान बनाने से रोकने पर अभियुक्तगण ने फरियादी भंवरलाल (अ0सा0—1) व पहलवान (अ0सा0—4) को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में भंवरलाल (अ0सा0—1) व पहलवान (अ0सा0—4) लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 3, 4, 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

- 26— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को मकान बनाने से रोकने पर फरियादी भंवरलाल (अ0सा0—1) व पहलवान (अ0सा0—4) के साथ लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की थीं। उक्त घटना में अभियुक्तगण ने फरियादी को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा रिपोर्ट करने जाने पर उसका रास्ता रोककर उसे जान से मारने की धमकी दी, इस संबंध में फरियादी भंवरलाल (अ0सा0—1) ने जहां अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं दिये हैं वहीं अन्य किसी साक्षी ने भी इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं।
- 27— उपरोक्त आरोप को लेकर अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर फरियादी का परीक्षण किये जाने पर फरियादी ने अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसे मां-बहन की गालियां दी थी तथा जान से मारने की धमकी दी थी परन्तु आरोपीगण ने उसका रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया, इस संबंध में फरियादी ने पुनः अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं। अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तगण ने फरियादी को किसी विशिष्ट दिशा में जाने से रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 341 के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 28— जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा गालिया दिये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में स्वयं फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं दिये हैं। हालांकि फरियादी ने पक्ष विरोधी होने के बाद अभियोजन के द्वारा परीक्षण

किये जाने पर यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की बुरी-बुरी गालियां दी थी, तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी, परन्तु मात्र उक्त कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 506 बी के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

- 29— फरियादी भवरलाल (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों का सर्वप्रथम तो किसी भी साक्षी ने कोई समर्थन नहीं किया है वहीं भंवरलाल (अ0सा0—1) ने उपरोक्त कथन पक्षविरोधी होने के बाद दिये हैं तथा उसके कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने किन शब्दों का उच्चारण किया था तथा वास्तव में यदि अभियुक्तगण ने कोई गालियां दी, तो उक्त स्थान, लोकस्थान या उसके आसपास का स्थान था या नहीं। भा0द0वि0 की धारा 294 के आरोप साबित करने के लिये यह साबित किया जाना आवश्यक है कि उच्चारित कि गई गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित हुआ हो।
- 30— फरियादी भंवरलाल (अ0सा0—1) के अलावा किसी व्यक्ति का यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण ने गालिया दी तथा फरियादी ने स्वयं यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने किन शब्दों का उच्चारण किया और न ही फरियादी के कथनों से यह दर्शित होता है कि उसे कोई क्षोभ कारित हुआ। अतः विवाद में कुछ गालियों का उच्चारण मात्र से भा0द0वि0 की धारा 294 का अपराध साबित नहीं होता है। उक्त अपराध साबित करने के लिये यह साबित किया जाना आवश्यक है कि वास्तव में उच्चारित शब्द से लोक स्थान उसके आसपास किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित हुआ हो। वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करे की अभियुक्तगण ने फरियादी को क्या अश्लील गालिया दी तथा वास्तव में फरियादी को अभियुक्तगण के द्वारा उच्चारित शब्दों से क्षोभ कारित हुआ। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294 के आरोप साबित नहीं होते हैं।
- 31— अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी इस संबंध में फरियादी ने पक्ष विरोधी होने के बाद कथन अवश्य दिये हैं, परन्तु मात्र जान से मारने की धमकी दिया जाना के संबंध में कथन देने से भा0द0वि0 की धारा 506 बी के तहत आपराधिक अभित्रास का अपराध साबित नहीं होता है। फरियादी का कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी किस प्रयोजन या आशय दी थी तथा वास्तव में दी गई धमकी से उसे कोई संत्रास कारित हुआ। बिना किसी आशय से जान से मारने की

धमकी मात्र शाब्दिक धोंस की श्रेणी में आती है। जो कि भा0द0वि0 की धारा 503 के तहत आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में नहीं आती हैं और यदि आपराधिक अभित्रास ही कारित नहीं हुआ कि तो अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 506 बी के आरोप भी उपरोक्त आधार पर साबित नहीं होते हैं।

32— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 04.06.2010 को शाम करीबन 06:00 बजे ग्राम हंसारी में फरियादी भंवरलाल व पहलवान की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी भंवरलाल व पहलवान को स्वेच्छया उपहति कारित की थी, परन्तु साक्ष्य के अभाव में एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने लोक स्थान पर फरियादी भंवरलाल को मां बहन की गालियां देकर उसे व अन्य को क्षोभ कारित कर भंवरलाल का रास्ता रोककर अवरोध कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

33— फलतः अभियुक्तगण राजपाल पुत्र जालम सिंह लोधी, दयाराम पुत्र राजधर लोधी, दिवासा उर्फ रामनिवास पुत्र जालम सिंह लोधी, किशनलाल पुत्र जालम लोधी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 323/34 (दो शीर्ष) के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 323/34 (दो शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार अभियुक्तगण राजपाल पुत्र जालम सिंह लोधी, दयाराम पुत्र राजधर लोधी, दिवासा उर्फ रामनिवास पुत्र जालम सिंह लोधी, किशनलाल पुत्र जालम लोधी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 506 बी के आरोप साबित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

34— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 35— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण तथा फरियादी के मध्य जमीनी विवाद है तथा उनकी आपस में रिश्तेदारी है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड प्रकरण में नहीं है। प्रकरण लगभग 7 वर्षों से न्यायालय में लंबित था। जिसमें अभियुक्तगण ने नियमित उपस्थित रहकर विचारण में सहयोग किया है। फरियादी तथा आहत को आई चोटे भी गंभीर प्रकृति नहीं है जिसको देखते हुये अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित कर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।
- 36— अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त राजपाल पुत्र जालम सिंह लोधी, दयाराम पुत्र राजधर लोधी, दिवासा उर्फ रामनिवास पुत्र जालम सिंह लोधी, किशनलाल पुत्र जालम लोधी को फरियादी भंवरलाल एवं आहत पहलवान के संबंध में भा0दं0वि0 की धारा 323/34 (दो शीर्ष) के अपराध का दोषी पाते हुये प्रत्येक शीर्ष में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000—1,000 /— रुपये (एक—एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07—07 दिवस (सात—सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।
- 37— अभियुक्तगण के द्वारा जमा की जाने वाली कुल अर्थदण्ड राशि **8,000 /—** में से धारा **357 (1)** द0प्र0स0 के तहत 2,000 /— रुपये प्रतिकर स्वरूप फरियादी भंवरलाल को एवं 2,000 /— रुपये आहत पहलवान अपील अवधि के पश्चात् अदा की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय आदेश का पालन

हो।

38-अभियुक्तगण को उपरोक्त सजायें एक साथ भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)